

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्दाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर०ए०एस०

हकीम अहमदखां पुत्र अशरफखां जाति कायमखानी नि० चूरु जिला चूरु

-वादी-

बनाम

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1. मनोहरखां पुत्र वारसखां | } | जाति कायमखानी नि० चूरु जिला चूरु |
| 2. मिनतीबानो बेवाह हाकमअलीखां | | |
| 3. अकबरखां पुत्र-पुत्री | | |
| 4. इलियासखां हाकमअलीखां | | |
| 5. रहीसा हाकमअलीखां | | |
| 6. आजमअलीखां पुत्र जीतेखां | | |
| 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरु | | |
| 8. औरंगजेब पुत्रगण मोहीदीनखां जाति कायमखानी नि० वार्ड नं. 29, चूरु | | |
| 9. वाहिदखां | | |

-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 332 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1190, 2402/1191 तादादी कमश: 18.05, 5.05 कुल तादादी 23.10 बीघा रोही कस्बा चूरु तहसील चूरु की भूमि का खाता विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाने का आदेश दिया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्लिद्यत	ख.नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	लगान
1.	हकीमअहमद खां पुत्र अशरफ खां जाति कायमखानी सा. चूरु खातेदार	1190 मी.	0.6850	बारानी	1.08
		2402/1191 मी.	0.6639	बारानी	1.05
		किता-2	1.3489	बारानी	2.12
2.	औरंगजेब वाहिदखां पि. मोहीदीनखां जाति कायमखानी सा. चूरु ब.हि.ब. खातेदार	1190 मी.	0.6639	बारानी	1.05
		2402/1191 मी.	0.6639	बारानी	1.05
		किता-2	1.3278	बारानी	2.10

(Handwritten signature)

3.	अकबरअली खां पुत्र हाकमअली खां हिस्सा 0.0737 हैक्टे. आजमअली खां पुत्र जीते खां हिस्सा 0.2950 हैक्टे. इलियास खां पुत्र हाकमअली खां हिस्सा 0.0737 हैक्टे. मनोहर खां पुत्र वारस खां हिस्सा 2.6767 हैक्टे. भिनतीबानो पत्नी हाकमअली खां हिस्सा 0.0737 हैक्टे. रहिसा पुत्री हाकमअली खां हिस्सा 0.0737 हैक्टे. जाति कायमखानी निवासी चूरु खातेदार	1190 मी.	0.2948	बारानी	0.46
		1190 मी.	2.9722	बारानी	4.71
		किता-2	3.2670	बारानी	5.17

तहसीलदार, चूरु को उक्तानुसार राजस्व अमिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28 माह नवम्बर सन् 2017 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु